आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
एससीओ-129, हुडा मार्केट, सेक्टर-46, गुड़गांव-122001
टेली. नं. 0124-2579863

कब्जा सूचना

{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1)}
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.10.2019 जारी कर ऋणधारक श्री देविन्दर सिंह एवं श्रीमती कविता को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 70,29,822.5 (रुपये सत्तर लाख उन्नतीस हजार आठ सौ बाईस एवं पैसे पचास मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है आज, 19 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऋणधारकों पर बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

अधोलिखित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः
भूमि तथा भवनः आवासीय, माप लगभग 5250 वर्ग फीट जो अपार्टमेन्ट नं. जे-101, प्रथम तल, टाइप 5 बीएचके ला लैग्यून, सेक्टर-54, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित है तथा चौहद्दीः पूर्वः खुला स्थान वाकिंग ट्रेक, पश्चिमः नीचे पैसेज, पूर्वः प्लॉट में प्रवेश, दक्षिणः टावर एच

तिथिः 19.12.2019 — **एजीएम एवं प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः गुड़गाँव — **आन्ध्रा बैंक**

डीसीबी बैंक लिमिटेड
7/56, तीसरी मंजिल, देशबन्धु गुप्ता रोड
करोल बाग, नई दिल्ली-110005
दूरभाष : (011) 45016060/45016055

डीसीबी बैंक

सरफाएशी अधिनियम के नियम 9(1) के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधान 8(6) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत डीसीबी बैंक के पास प्रभारित अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार, सह-कर्जदारों तथा जमानतियों को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधक है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत 26.09.2019 को भौतिक कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित विवरणों के अनुसार निम्नलिखित बकायों तथा भावी ब्याज, प्रभारों एवं लागत आदि सहित की वसूली के लिए नीचे वर्णित के अनुसार निविदा सह सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी :

सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी।

कर्जदार तथा जमानतियों के नाम : सन्मति ऑयल एण्ड स्पेयर पार्ट्स, सत्यवीर जैन, राहुल जैन, सरिता जैन।

बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
ए-449, मीत नगर, मेन वजीराबाद रोड, शाहदरा, दिल्ली-110094	रु. 98,00,000/- (रुपये अट्ठानबे लाख मात्र)	रु. 9,80,000/- (रुपये नौ लाख अस्सी हजार मात्र)
निरीक्षण की तिथि एवं समय	**नीलामी की तिथि एवं समय**	**कब्जे का प्रकार**
02.01.2020 11.30 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप.	09.01.2020 12.30 बजे अप. से 4.00 बजे अप.	भौतिक

उपर्युक्त सम्पत्ति की खरीद हेतु इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक क्रेता डीसीबी बैंक लिमिटेड, 7/56, तीसरी मंजिल, देशबन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर ''जमा धरोहर राशि'' के प्रति ''डीसीबी बैंक लिमिटेड'', नई दिल्ली के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित मुहरबन्द लिफाफे में उपर्युक्त सम्पत्ति हेतु अपने प्रस्ताव 08.01.2020 को 4.30 बजे अप. तक या इससे पूर्व भेज सकते हैं। मुहरबन्द प्रस्ताव नीलामी की तिथि पर 09.01.2019 को 12.30 बजे अपराह्न उपर्युक्त शाखा पर खोले जायेंगे। यदि संविदा असफल होती है तो बिना किसी ब्याज के ईएमडी वापस कर दी जायेगी। इच्छुक क्रेता उपर्युक्त सम्पत्ति/आस्ति का निरीक्षण अधिकतम उपर्युक्त तिथि तक कर सकते हैं जिसके लिए वे श्री श्यामसुन्दर चंडोक या श्री मयंक दत्त चौधरी (011-45016060, 45016055) से सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner देखें।

ह./-
तिथि : 25.12.2019 — **अधिकृत प्राधिकारी**
स्थान : दिल्ली — **डीसीबी बैंक लिमिटेड**

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

द करुर वैस्य बैंक लि.
मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल,
मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड
करोलबाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जारी

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 7.10.2019 जारी कर ऋणधारकों (1) मै. इंडियन बाल्स इन्टरनेशनल, पर प्रॉपः श्री दीपक गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 तथा 2) श्री राजेश गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2136868.34 (रुपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ अड़सठ एवं पैसे चौंतीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.09.2019 जारी कर ऋणधारक 1) मै. बॉबी टॉयज सेन्टर, पर प्रॉप.: श्री राजेश गुप्ता, 5387/2, न्यू मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली-110006; 2) श्री राजेश गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 तथा श्री दीपक गुप्ता, पुत्र श्री राजेश गुप्ता, 2152, शोरा कोठी, क्लॉक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 25,23,071.07 (रुपये पच्चीस लाख तेईस हजार इकहत्तर तथा पैसे सात मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 23 दिसम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 46,59,939.41 (रुपये छियालिस लाख उन्सठ हजार नौ सौ उन्तालिस एवं पैसे इकतालिस मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण

2152, वार्ड नं. XII, गली शोरा कोठी, क्लॉक टावर, दिल्ली-110007, भूमि माप लगभग 87 वर्ग यार्ड्स में निर्मित सम्पूर्ण आवासीय सम्पत्ति तथा चौहद्दीः
पूर्वः सम्पत्ति सं. XII/2151 — पश्चिमः सम्पत्ति सं. XII/2206 नया
उत्तरः सम्पत्ति सं. XII/1882 नया — दक्षिणः लेन

तिथिः 23.12.2019 — **मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः दिल्ली — **द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड**

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपवाक्य (क) के मामले में

और

एसआरजी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 1415 अंसल टॉवर, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली-110029, में है, के मामले में
....याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी **14.12.2019,** को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य"** में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा **क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली**-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

एसआरजी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U51909DL2008PTC181136)
1415 अंसल टॉवर, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली-110029
ई मेल : **info@srginternational.in**
मोबाइल नं : 9811984444

कृते एसआरजी इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
तिथि : 14/12/2019 — हस्ता./-
स्थान : नई दिल्ली — सुमित गर्ग
निदेशक डीआईएन : **02097275**
पता : 1241, विहाइन्ट ए.पी.जे स्कूल, सेक्टर -15, एस्कॉर्ट नगर, फरीदाबाद, हरियाणा-121007

फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) के अनुवर्ती]
क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (5) (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4), कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में।

तथा

रियलवर्थ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड (U74900DL1996PTC083429) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, अमृत नगर, एन.डी.एस.ई. पार्ट 1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110049 के विषय में।
................याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा अपना पंजीकृत कार्यालय **''केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली** से **हरियाणा राज्य''** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक **23 दिसंबर**, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड, दिल्ली**-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या डिलीवर करें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।

हिते एवं कृते आवेदक
रियलवर्थ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
दिनांकः 23.12.2019 — **हस्ता./- (राजीव उप्पल)**
स्थानः दिल्ली — **निदेशक DIN: 00331272**

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-V, नई दिल्ली के समक्षकम्पनी याचिका सं. सीए (सीएए)-144 (एनडी/2019 जो संबंधित है

कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए-139/230/232/एनडी/2019 से (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत) कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में

तथा

मामले में आइट्रॉन मीटरिंग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता कंपनी सं. 1/ अंतरक कम्पनी

तथा

आइट्रॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ---याचिककर्ता कम्पनी सं. 2/ अंतरिती कम्पनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

आइट्रॉन मीटरिंग सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 1) तथा आइट्रॉन इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (''याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 2) के बीच समामेलन योजना की स्वीकृत के लिए याचिकाकर्ता कम्पनी सं.-1 तथा याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 2 द्वारा संयुक्त रूप से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत 29 अक्तूबर, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-V (एनसीएलटी) के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पर माननीय एनसीएलटी के समक्ष सोमवार, 13 जनवरी, 2020 को 10.30 पूर्वा. में अथवा उसके तत्काल बाद सुनवाई निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक हों, अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं/अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना इस प्रकार से भेजें ताकि वह उक्त याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता के पास पहुंच जाए। यदि वे व्यक्ति उक्त याचिका का विरोध करना चाहते हों तो उस सूचना के साथ विरोध के कारणों अथवा शपथ-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें।

याचिका की एक प्रति आवेदक कम्पनियों के अधिवक्ता से याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व शनिवार तथा रविवार छोड़कर किसी भी कार्य दिवस को 10 बजे पूर्वा. से 6 बजे सायं के बीच प्राप्त की जा सकती है।

तिथिः 25.12.2019
पताः मै. साइरिल अमरचंद मंगलदास, डी-3, प्रायस प्लैटिनम, 4था तल, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017,भारत।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार
पार्टनर
मै. साइरिल अमरचन्द मंगलदास
आवेदक कम्पनियों के
एडवोकेट्स

प्रपत्र-बी
सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन भारतीय बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत)

जोट इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

क्रम सं.	विवरण	विस्तृत विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	जोट इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	09.01.1998
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लायबिलिटी	U18101DL1998PTC091759
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** 1/204, भूतल, सदर बाजार, दिल्ली, कैन्ट, नई दिल्ली-110010
6.	इंशोलैंसी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन	19 दिसम्बर 2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन	20 दिसम्बर, 2019 को माननीय एनसीएलटी द्वारा आदेश पारित (आदेश एनसीएलटी पोर्टल पर 23 दिसम्बर 2019 को अपलोड किया गया)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इंशोलैंसी प्रॉफेशनल का नाम तथा	**श्री अखिलेश कुमार गुप्ता** **पंजीकरण सं.** IBBI/IPA-001/ IP-P00780/ 2017-2018/11353
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेल	**पंजीकरण पताः** ए-16/4, वसंत विहार, नई दिल्ली, 110057, भारत ईमेलः Akhilesh@llca.net
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा	**श्री अखिलेश कुमार गुप्ता** **लुथरा एण्ड लुथरा रिस्ट्रक्टयूरिंग एण्ड इंसोल्वेन्सी एडवाईर्स एलएलपी,** एलजीएफ, ए-16/9, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057, भारत ईमेलः jipl.irp@llca.net फोनः +91-11-42591800
11.	दावा जमा करने की अंतिम तिथि	22 जनवरी 2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली-II ने **20 दिसम्बर 2019** को **जोट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड** के परिसमापन को शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश एनसीएलटी पोर्टल पर 23 दिसम्बर 2019 को अपलोड किया गया)।

जोट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास **22 जनवरी, 2020** को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

वित्तीय लेनदार केवल इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी हितधारक प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

सभी दावें निर्दिष्ट फार्म में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। **फार्म सी**-परिचालन लेनदारों द्वारा दावे का प्रमाण, कामगार और कर्मचारियों को छोड़कर **फार्म डी**-वित्तीय लेनदारों द्वारा दावे का प्रमाण **फार्म ई**-कामगार या कर्मचारी द्वारा दावे का प्रमाण **फार्म एफ**-कामगारों या कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावे का प्रमाण **फार्म जी**- किसी अन्य हितधारक द्वारा दावे का प्रमाण। ये फॉर्म आईबीबीआई के पोर्टल यानी https://ibbi.gov.in या लिक्विडेटर के पोर्टल यानी http://www.llcairp.com/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

हस्ताक्षर
दिनांकः 24.12.2019 — **अखिलेश कुमार गुप्ता**
स्थानः नई दिल्ली — **परिसमापक**

AU SMALL FINANCE BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
परिशिष्ट-IV-A
नियम 8(6) के लिए देखें

अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति की नीलामी विक्रय सूचना

आमजन एवं व्यक्ति विशेष देनदारों तथा जमानती को सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणदाता की गिरवी/प्रभारित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा **एयू स्मॉल फाईनेंन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, प्रत्याभूत ऋणदाता ''जैसे है जहां है''जो भी और जैसा भी है के आधार पर विक्रय करने जा रहा है। प्रकरणों का विशेष विवरण इस प्रकार है-

ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि व समय	निविदा जमा कराने की तिथि व समय	निविदा खोलने, जमा कराने व नीलामी का स्थान एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड	सम्पर्क सूत्र व संपत्ति विजिट दिनांक
दिनेश कुमार पुत्र श्री सुर्या प्रसाद (ऋणी), श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नि दिनेश कुमार (सह-ऋणी व बंधककर्ता) लोन खाता नं. LSKRL02914-150280269 (L9001060100160796)	3 जून 2017 ₹1660860/- रुपये सौलह लाख साठ हजार आठ सौ साठ मात्र	29 नवम्बर 2019	म.नं.-16, यादव नगर, बुलंदशहर रोड़, इंडिस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. **क्षेत्रफल : 58 वर्ग गज**	₹ 801000/- रुपये आठ लाख एक हजार मात्र	₹ 50000/- रुपये पचास हजार मात्र	1 फरवरी, 2020 समय प्रात: 10.30 से अपरान्ह 2 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	31 जनवरी 2020 समय प्रात: 10.00 से सायं 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयः- 801 से 804, रूट्स टॉवर, 8वां तल, जिला सेन्टर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली 110092	भगवान दास 9205262015 31-जनवरी, 2020
नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चरण सिंह (ऋणी), श्रीमती भावना सिंह पत्नि नरेन्द्र सिंह (सह-ऋणी व बंधककर्ता) लोन खाता नं. LSGUR02715-160344726 (L9001060100970206)	2 नवम्बर 2017 ₹1076983/- रुपये दस लाख छियत्तर हजार नो सौ तिरासी मात्र	25 नवम्बर 2019	फ्री होल्ड रेस. सम्पत्ति एमसीएफ नं. 4548, खसरा नं. 19//19, 20,21,22 वका मौजा गौंची, तहसील-बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद **क्षेत्रफल : 46 वर्ग गज**	₹ 1200000/- रुपये बारह लाख मात्र	₹ 50000/- रुपये पचास हजार मात्र	1 फरवरी, 2020 समय प्रात: 10.30 से अपरान्ह 2 बजे तक 5 मिनट की एक्सटेंशन के साथ	31 जनवरी 2020 समय प्रात: 10.00 से सायं 5 बजे तक	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालयः- बेटर हॉमज टॉवर, दुसरा तल, प्लॉट नं. 20-21 सी, यामाहा शौरूम, नीलम रैल्वे रोड़, एनएच-5, निट फरीदाबाद - 121001, हरियाणा	केशव धसमाना 8130291427 31-जनवरी, 2020

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड की वेबसाईट पर दिये गये लिंक https://www.aubank.in/bank-auction पर देखें।

नोटः- यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।

स्थानः जयपुर — दिनांकः 24-दिसम्बर-2019 — प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

सितंबर तिमाही में फंसा कर्ज 9.1 फीसद पर स्थिर : आरबीआइ

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा)।

रिजर्व बैंक के फंसे कर्ज को लेकर सख्ती का सकारात्मक असर दिखने लगा है। फंसे कर्ज की पहचान को लेकर प्रक्रिया पूरी होने के करीब पहुंचने के साथ बैंकों का सकल एनपीए (फंसा कर्ज) कर्ज अनुपात सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 9.1 फीसद पर स्थिर रहा। 2018-19 में भी इसी समय एनपीए का स्तर यही था।

आरबीआइ ने 2018-19 में बैंक प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट में कहा कि पूरे साल के आधार पर एनपीए के मोर्चे पर अच्छा सुधार दिखता है। जहां 2017-18 में एनपीए अनुपात 11.2 फीसद था, वह 2018-19 में घटकर 9.1 फीसद पर आ गया। सभी वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 2018-19 में पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा घटकर 3.7 फीसद पर आ गईं जबकि इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह अनुपात छह फीसद था। यह बैंक प्रणाली की स्थिति में सुधार को प्रतिबिंबित करता है।

1.10 करोड़ फास्टैग जारी, रोजाना टोल संग्रह 46 करोड़

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पथ कर (टोल) संग्रह शुरू होने के साथ अब तक 1.10 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न बिक्री केंद्रों (पीओएस) के जरिए करीब 1.10 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। राजमार्ग प्राधिकरण रोज करीब डेढ़ से दो लाख फास्टैग की बिक्री देख रहा है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोग इस डिजिटल व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, दैनिक इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करीब 46 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

निविदा सूचना संख्या 06/2019-2020

अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड शाहजहॉपुर के प्रयोगार्थ एक नग डीजल चालित हल्का वाहन वर्ष 2018 या उसके बाद का माडल (चालक सहित) नौ माह के लिए मासिक किराये पर रखने हेतु सीलबन्द निविदायें निर्धारित निविदा प्रपत्र पर दो भागों में अनुभवी एजेन्सी/फर्मों द्वारा आमंत्रित की जाती है। भाग एक में धरोहर धनराशि रुपये 3000/- जो एफ.डी./बी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड शाहजहाँपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। भाग दो में दर नियम एवं अन्य शर्ते होनी चाहिए। निविदा दिनॉक 18-01-2020 को 12.00 बजे तक स्वीकार की जायेगी एवं उसी दिन 15.00 बजे निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र संख्या 06/2019-2020 का मूल्य रुपये 224/- (जी.एस.टी. सहित) मात्र होगा जो इस कार्यालय से प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र www.upptcl.org पर भी उपल्ब्ध है। निविदा का क्रय करना अनिवार्य है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। **हस्ता./- अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड उ.प्र.पा.ट्रॉ.का.लि.,** 132 **के.वी. उपकेन्द्र पोवायॉ रोड शाहजहॉपुर 'राष्ट्र हित में बिजली बचायें' पत्रांक** 164/**वि.परी.एवं परि.खं.(शा.)/निविदा संख्या** 06/2019-20
दिनांक/Date 23.12.2019

सूचकांक 181 अंक फिसला

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में मंगलवार को भी गिरावट दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) की भारतीय अर्थव्यवस्था पर की गई टिप्पणी का असर घरेलू शेयर बाजारों पर पड़ा। आइएमएफ ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नरम चल रही है। इसके अलावा कारोबारी गुरुवार को समाप्त हो रहे वायदा व विकल्प खंड सौदों के समाप्त होने से पहले थोड़े सतर्क दिखे। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 181.40 अंक यानी 0.44 फीसद टूटकर 41,461.26 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 48.20 अंक यानी 0.39 फीसद की गिरावट के साथ 12,214.55 अंक पर आ गया। कारोबार के अंतिम चार घंटे में रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक व एचडीएफसी जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में एचसीएल टेक रही।

जीएसटी पर अधिकारी समूह की रिपोर्ट

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

राज्यों को माल व सेवाकर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के लिए उपकर से प्राप्त राशि में चालू वित्त वर्ष के दौरान 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी रहने की आशंका के बीच अधिकारियों की एक समिति ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के बारे में सुझाव दिए हैं। इनमें विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझाव भी शामिल किए गए हैं। इनमें जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की संख्या कम करने और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ाने के सुझाव भी शामिल हैं। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई इस समिति का गठन जीएसटी की समीक्षा के लिए किया गया था। समिति को इस दौरान विभिन्न संबद्ध पक्षों से भी कई सिफारिशें और सुझाव प्राप्त हुए हैं।

PTC INDUSTRIES
Aspire. Innovate. Achieve.

सीआईएन : L271090P1963PLC002931
पंजीकृत कार्यालय : एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सेन्टर, एनएच-25ए, सराय शहजादी, लखनऊ-227101, उत्तर प्रदेश, भारत
फोन: +91 522 7111017, फैक्स +91 522 7111020 ईमेल- ptc@ptcil.com, वेब : www.ptcil.com

पोस्टल बैलेट सूचना

कंपनी के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 110 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार, कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस (दिनांक 21 दिसंबर, 2019) की प्रेषण प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट फॉर्म सहित, दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को पूर्ण कर ली है। जिसमें विशेष प्रस्ताव के माध्यम से (1) श्री बृज लाल गुप्ता (DIN-06503805) के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार पांच वर्षों का दूसरा कार्यकाल, और (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (3) के प्रावधानों के अनुसार ऋण के इक्विटी में रूपांतरण को सक्षम करने के लिए कंपनी के सदस्यों की सहमति की मांग की गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान यानी रिमोट ई-वोटिंग भी शामिल है।

जिन व्यक्तियों के नाम 13 दिसंबर, 2019 (कट-ऑफ डेट) को सदस्यों/लाभार्थियों के रूप में रजिस्टर में हैं, वे केवल पोस्टल बैलट/ रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पारित प्रस्तावों पर वोट देने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति सदस्य नहीं है, उनके लिये सूचना केवल जानकारी हेतु है।

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश से CDSL की सेवायें ली हैं। पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान गुरुवार, 26 दिसंबर, 2019 (प्रातः 9:00 बजे) से शुरु होगा और शुक्रवार, 24 जनवरी 2020 (सांय 5:00 बजे) पर समाप्त होगा। मतदान के परिणाम शनिवार 25 जनवरी, 2020 को घोषित किए जाएंगे।

कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को संचालित कराने के लिये श्री अमित गुप्ता, कंपनी सचिव (पूर्णतः प्रैक्टिस में) को स्क्रूटिनाइजर के रूप में और सुश्री प्रगति गुप्ता कंपनी सचिव (पूर्णतः प्रैक्टिस में) को वैकल्पिक जांचकर्ता के रूप में (आगे स्क्रूटिनाइजर्स के रूप में उल्लिखित) नियुक्त किया है।

विधिवत भरे हुए मतपत्र फॉर्म, स्क्रूटिनाइजर को 24 जनवरी, 2020 की सांय 5:00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए उक्त तिथि और समय के बाद प्राप्त मत पत्र अमान्य माना जाएगा।

बैलेट फॉर्म की नकल प्रति मांगने या बैलेट प्रक्रिया से संबंधित कोई शिकायत होने पर सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लि0 सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083 या ई-मेल आईडी companysecretary@ptcil.com पर लिख सकते हैं। डुप्लीकेट बैलट फॉर्म को विधिवत पूरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और 24 जनवरी, 2020 की सांय 5:00 बजे स्क्रूटिनाइजर तक पहुंच जाना चाहिए।

कृते पी टी सी इण्डस्ट्रीज लि0
हस्ता./-
दिनांक - 24.12.2019 — (अनुज निगम)
स्थान - लखनऊ — कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

अक्तूबर में सृजित हुए 12.44 लाख नए रोजगार : ईएसआइसी

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के आंकड़ों के अनुसार अक्तूबर महीने में 12.44 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ। इससे पिछले महीने 12.23 लाख नए रोजगार पैदा हुए थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में ईएसआइसी के पास कुल 1.49 करोड़ नए नामांकन हुए थे। आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2017 से अक्तूबर 2019 के दौरान ईएसआइसी योजना से 3.22 करोड़ नए अंशधारक जुड़े।

एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआइसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने वाले नए अंशधारकों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान ईएसआइसी के पास कुल 83.35 लाख नए नामांकन हुए। अक्तूबर में ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से 7.39 लाख नए नामांकन हुए। सितंबर में यह संख्या 9.48 लाख की थी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ईपीएफओ संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 61.12 लाख नए अंशधारक जुड़े। सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान इससे शुद्ध रूप से 15.52 लाख नए अंशधारक जुड़े। ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2017 से अक्तूबर 2019 के दौरान 2.93 करोड़ अंशधारक कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जुड़े।

सोना 191 रुपए उछला, चांदी 943 रुपए चढ़ी

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा)।

विदेशी बाजारों में कीमती धातुओं में तेजी जारी रहने के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 191 रुपए उछल कर 39,239 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक, चांदी 943 रुपए चढ़ कर 47,146 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले दिन चांदी 46,203 रुपए पर बंद हुई थी।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
CIN L51909DL1963GOI004033
कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 (भारत)
फोन नं: +91-11-24362200, 24360527
फैक्स: +91-11-24364587

एमएमटीसी निम्न हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है

(i) प्याज का आयात
प्याज के आयात हेतु ई-निविदा
ई-निविदा सं. एमएमटीसी/आइएमपी/प्याज/2019-20/16 दिनांक 20 दिसंबर, 2019;
समापन तिथि 26 दिसंबर, 2019 को 1500 बजे (भा.मा.स.)

(ii) आयातित प्याज की खरीद
आयातित प्याज की खरीद हेतु ई-निविदा
ई-निविदा सं. एमएमटीसी/पीयूआर/प्याज/2019-20/02 दिनांक 23 दिसंबर, 2019;
समापन तिथि 27 दिसंबर, 2019 को 1500 बजे (भा.मा.स.)

ई-निविदा एमएमटीसी की ई-प्रक्योरमेंट वेबसाइट https://mmtc.abcprocure.com पर उपलब्ध है।
निविदा दस्तावेज की कापी उप महाप्रबंधक (एग्रो) से भी प्राप्त की जा सकती है अथवा हमारी वेबसाइट www.mmtclimited.gov.in और https://eprocure.gov.in/epublish/app से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

फार्म नं. आइएनसी-26
[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) के अनुवर्ती]
क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 (5) (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4), कंपनीज अधिनियम, 2013 के विषय में।

तथा

आरएनएस मर्केनडाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड (U18101DL2001PTC110491) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, अमृत नगर, एन.डी.एस.ई. पार्ट 1, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110049 के विषय में।
................याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा अपना पंजीकृत कार्यालय **''केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली** से **हरियाणा राज्य''** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक **23 दिसंबर**, 2019 को अपराह्न 2.00 बजे आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड, दिल्ली**-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या डिलीवर करें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति नीचे वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।

हिते एवं कृते आवेदक
आरएनएस मर्केनडाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
दिनांकः 23.12.2019 — **हस्ता./- (राजीव उप्पल)**
स्थानः दिल्ली — **निदेशक DIN: 00331272**

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, 1ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद
फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी, फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 3.1.2019 जारी कर ऋणधारको श्री कमरुद्दीन, पुत्र श्री करकल्ली, एमसीएफ 443, खचेरु कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 तथा गारन्टरों: 1. श्री कमरुदीन, पुत्र श्री करकल्ली, एच. न. 543, सुभाष कॉलोनी, निकट जनता मार्डन स्कूल, बल्लभगढ़-121004, 2. श्री मुस्ताक, मुवीन तथा शाहिद एच नं. 543, सुभाष कॉलोनी, निकट जनता मार्डन स्कूल, बल्लभगढ़-121004 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 18,94,766.00/- (रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार सात सौ छियासठ मात्र) के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 3.1.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, खाता सं. 65032497499 में इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 18,94,766.00/- (रुपये अठारह लाख चौरानवे हजार सात सौ छियासठ मात्र) के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ 3.1.2019 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खचेरु कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में बिक्री प्रलेख सं. 5929, 302 तिथि 29.7.1996 तथा 15.2.1990 के माध्यम से श्री कमरुदीन, पुत्र श्री करकल्ली के नाम में एम सी एफ 442 (किल्ला नं. 19/1/2, 12 मुस्तिल नं. 84,13(1), एमएसजी-305.50 वर्ग यार्ड्स की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 25.12.2019 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः फरीदाबाद — भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

कार बिक्री सूचना

अमीरा प्योर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन)
पंजी. कार्या.: बी-1/ई-28, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110044

ई-नीलामी

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत कारों की बिक्री

नीलामी की तिथि एवं समयः मंगलवार, 7 जनवरी, 2020 को 2.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

आदेश तिथि 11 दिसम्बर, 2018 माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-II द्वारा नियुक्त प्रस्ताव कर्मी द्वारा **अमीरा प्योर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड** (सीआईआरपी के अधीन) के स्वामित्व के कारों की बिक्री। यह बिक्री के माध्यम से ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

कार का विवरण	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
चल परिसम्पत्ति-BMW-सिरीज 750L (2009, व्हाईट, पेट्रोल, 54,500 कि.मी.)	ब्लॉक-1	रु. 18,30,000/- (अठारह लाख तीस हजार मात्र)	रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र)

निरीक्षण की अंतिम तिथि एवं समयः **28 दिसम्बर, 2019 (शनिवार) तथा 29 दिसम्बर, 2019 (रविवार) 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक।**

बोली दस्तावेजों एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 5.00 **बजे अप. से पूर्व, 6 जनवरी, 2020 (सोमवार) को।**

कृपया नोट करें: विस्तृत नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी निविदा दस्तावेज तथा ऑन लाइन नीलामी बिक्री के अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं। आगे, स्पष्टीकरणों के लिए कृपया ई-मेलः amira.cirp@gmail.com पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

तिथिः 24.12.2019 — आकाश सिंघल
स्थानः नई दिल्ली — प्रस्ताव कर्मी
मै. अमीरा प्योर फूड्स प्रा. लि. (सीआईआरपी के अधीन कम्पनी)
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
खण्डेलवाल जैन एंड क., जी-8 एवं 9, हंस भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, ई-मेलः amira.cirp@gmail.com
सम्पर्क नं.: 011-23370091

शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में 12 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित **सार्वजनिक सूचना** ''द्वारका में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता के लिए कुछ रिक्तियाँ हैं'', से सम्बन्धित में दी गई जानकारी :-

27 दिसंबर, 2019 **से** को
27 दिसंबर, 2019 **तक** पढ़ा जाए

असुविधा के लिए खेद है।

सचिव
एनपीएससी सोसाइटी, प्लॉट सं. 5, सेक्टर-2 द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुलग्नक - 'ए' 12
जी ऐंड जी पॉलिमैक प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन : U25191DL2009PTC192924)
पंजी. कार्यालय : 26, आनंद लोक, नई दिल्ली- 110049
ई-मेल : cs@agindus.com

केन्द्र सरकार
(क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5)(क) के क्लॉज (क) विषय में

तथा

जी ऐंड जी पॉलिमैक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय '26 आनंद लोक, नई दिल्ली-110049' में स्थित है, के विषय में
.............**आवेदक कम्पनी**

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में परिवर्तित/स्थानांतरित करने के लिए याचिकादाता कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 16 दिसम्बर, 2019 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक को प्रत्यायोजित, के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित याचिकादाता कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति याचिकादाता कम्पनी को उपरिवर्णित पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए।

वास्ते जी ऐंड जी पॉलिमैक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 24.12.2019 — रवि पैट्रो
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक
डीआईएन : 08466964
पता : आरजैड-57/12-14, गली नंबर 5, मेन सागरपुर, साउथ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली-110046

www.readwhere.com